महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : www.hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

41वीं बैठक का संशोधित कार्यवृत्त

दिनांक : 25 अप्रैल, 2022 (सोमवार)
समय : पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान : महादेवी वर्मा सभागार
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 41वीं बैठक का संशोधित कार्यवृत्त

दिनांक : 25.04.2022 (सोमवार)

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	नव नियुक्त सदस्यों का स्वागत।	1–3
1.	विद्या–परिषद की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि।	
2.	विद्या–परिषद की 39वीं एवं 40वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई।	
3.	लोक सूचना में सूचनाओं के स्वप्रेरित प्रकटीकरण (Suo-motu disclosure) के अंतर्गत विद्या–परिषद, स्कूल बोर्ड, अध्ययन बोर्ड के कार्यवृत्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाना।	
4.	सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा–2022 (CUET-2022) में सहभागिता।	4
5.	राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) का क्रियान्वयन।	
6.	पी–एच.डी. अध्यादेश (45/2020) के अंतर्गत पी–एच.डी. कोर्स वर्क में क्रेडिट संशोधन।	
7.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के बीच हुए समझौता ज्ञापन ।	5–7
8.	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय 1. गुवाहाटी एवं कोहिमा में केंद्र की स्थापना 2. शोधार्थियों को पी–एच.डी का विषय आवंटन 3. विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव 4. डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 5. नैक मूल्यांकन 6. विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश क्रमांक 08 एवं 09 के हॉल ऑफ रेजीडेंस एवं अनुशासन (क्पेबपचसपदम) आदि संबंधी प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता।	

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 41वीं बैठक का संशोधित कार्यवृत्त

स्थान	**:**	**महादेवी वर्मा सभागार, तुलसी भवन विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा**
दिनांक	**:**	**25 अप्रैल, 2022(सोमवार)**
समय	**:**	**पूर्वाहन 11:00 बजे**

विद्या–परिषद की 41वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25.04.2022 (सोमवार) को पूर्वान्ह 11.00 बजे साहित्य विद्यापीठ के महादेवी वर्मा सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी:

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	अधिष्ठाता : भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता : अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ निदेशक : विदेशी भाषा एवं अंतराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र विभागाध्यक्ष, अनुवाद अध्ययन विभाग विभागाध्यक्ष, प्रवासन एवं डायस्पोरा विभाग
3.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ कुलानुशासक निदेशक, म.गां.फ्यु.गुरूजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष, इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग
4.	प्रो. लेला कारूण्यकरा	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ निदेशक, सिदो कान्हू मुर्मु दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र निदेशक, भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र
5.	प्रो. अवधेश कुमार	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभागाध्यक्ष, मराठी, संस्कृत विभाग
6.	प्रो. वृषभ प्रसाद जैन	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
7.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
8.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग

9.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय	प्रोफेसर, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
10.	प्रो. प्रीति सागर	प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
11	प्रो. फरहद मलिक	प्रोफेसर, मानव विज्ञान विभाग **(ऑनलाइन)**
12.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज
13.	प्रो. शिरीष पाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विभाग
14.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग
15.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	विभागाध्यक्ष, राजनिति शास्त्र विभाग
16.	प्रो. चतुर्भुज नाथ तिवारी	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग
17.	डॉ. मनोज कुमार राय	विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग **(ऑनलाइन)**
18.	डॉ. रविंद्र तु. बोरकर	विभागाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग
19.	डॉ. ओमप्रकाश भारती	विभागाध्यक्ष, प्रदर्शनकारी कला विभाग
20.	डॉ. एच.ए.हुनगुंद	कार्यकारी अध्यक्ष, भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
21.	डॉ. सुप्रिया पाठक	विभागाध्यक्ष, स्त्री अध्ययन विभाग
22.	डॉ. जयंत उपाध्याय	विभागाध्यक्ष, दर्शन एवं संस्कृति विभाग
23.	प्रो. एम. वेंकटेश्वर	बाह्य–विशेषज्ञ
24.	प्रो. प्रकाश बर्तूनिया	बाह्य–विशेषज्ञ
25.	प्रो. नमिता निम्बालकर	बाह्य–विशेषज्ञ (ऑनलाइन)
26.	डॉ. उमेश कुमार सिंह	एसोशिएट प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
27.	डॉ. के. बालराजू	एसोशिएट प्रोफेसर, म.गां.फ्यु.गुरुजी सामाजिक कार्य अ. केंद्र
28.	डॉ. राकेश कुमार मिश्र	एसोशिएट प्रोफेसर, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग
29.	डॉ. शंभू जोशी	एसोशिएट प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
30.	डॉ. सुनील कुमार	सहायक प्रोफेसर, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
31.	डॉ. चित्रा माली	सहायक प्रोफेसर, क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता **(ऑनलाइन)**
32.	डॉ. संदीप कुमार वर्मा	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
33.	डॉ. राजेश लेहकपुरे	सहायक प्रोफेसर, जनसंचार विभाग
34.	डॉ. ओम प्रकाश प्रजापति	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
35.	डॉ. अजय कुमार सिंह	भूतपूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि
36.	श्री गौरव कुमार	छात्र प्रतिनिधि
37.	श्री क़ादर नवाज़ ख़ान	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

शेष सदस्य अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

विद्या–परिषद के सहयोग के लिये अधोलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :

1.	श्री सुशील पखिडे	सहायक कुलसचिव
2.	डॉ. राजेश्वर सिंह	सहायक कुलसचिव
3.	श्री राजेश अरोड़ा	सहायक कुलसचिव
4.	श्री विनोद वैद्य	सहायक कुलसचिव
5.	श्री के.के.त्रिपाठी	सहायक कुलसचिव

बैठक का आरंभ विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुआ। तदुपरांत माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा नव नियुक्त बाह्य–विशेषज्ञ प्रो. प्रकाश बर्तूनिया, प्रो. नमिता निम्बालकर और नवनियुक्त सदस्य डॉ. राकेश कुमार मिश्र, एसोशिएट प्रोफेसर, डॉ. शंभू जोशी, एसोशिएट प्रोफेसर का स्वागत किया तथा निवर्तमान सदस्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

मद संख्या–1

विद्या–परिषद की 40वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

विद्या–परिषद अवगत हुई कि दिनांक 07.01.2022 को संपन्न 40वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्माननीय सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गई थी। इस संबंध में कोई टिप्पणी अथवा सुझाव प्राप्त न होने के आलोक में विद्या–परिषद ने सम्यक विचार के उपरांत कार्यवृत्त पुष्टि की।

मद संख्या–2

विद्या–परिषद की 39वीं एवं 40वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई अनुवर्ती कार्रवाई।

दिनांक 13.12.2021 को संपन्न 39वीं बैठक और दिनांक 07.01.2022 को संपन्न 40वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसरण में की गई कार्रवाई का विद्या–परिषद ने संज्ञान लिया।

⟹ **शेष मदों पर निर्णय अनुपालित**

मद संख्या–3

लोक सूचना में सूचनाओं के स्वप्रेरित प्रकटीकरण (Suo-motu disclosure) **के अंतर्गत विद्या–परिषद, स्कूल बोर्ड, अध्ययन बोर्ड के कार्यवृत्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना।**

लोक सूचना में सूचनाओं के स्वप्रेरित प्रकटीकरण (Suo-motu disclosure) में सुझाव देने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की दिनांक 09.12.2021 को संपन्न में बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विद्या–परिषद, स्कूल बोर्ड, अध्ययन मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का सुझाव दिया गया है।

विद्या–परिषद, स्कूल बोर्ड, अध्ययन मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने का प्रस्ताव विद्या–परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : विद्या–परिषद ने लोक सूचना में सूचनाओं के स्वप्रेरित प्रकटीकरण (Suo-motu disclosure) **के अंतर्गत विद्या–परिषद, स्कूल बोर्ड, अध्ययन बोर्ड के कार्यवृत्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड के लिए स्वीकृति प्रदान की।**

मद संख्या–4

सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा–2022 में सहभागिता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से प्राप्त दिशा–निर्देशों के आलोक में सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा–2022 (CUET-2022(UC) के तहत विश्वविद्यालय ने भाग लिया है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रतिकुलपति प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। गठित समिति द्वारा लिए निर्णयों के आलोक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित किये गये परीक्षा स्वरूप के अनुसार विश्वविद्यालय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों का विवरण तैयार कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी प्रेषित किया गया है।

गठित समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों का प्रारूप विद्या–परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया तथा स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–5

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) **का क्रियान्वयन।**

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) का प्रारूप जारी किया गया है जो विद्या–परिषद के समक्ष क्रियान्वयन हेतु परिशिष्ट–2 के रूप में प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NHEQF) **का अवलोकन किया तथा क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की।**

मद संख्या–6

पी–एच.डी. अध्यादेश (45/2020) के अंतर्गत पी–एच.डी. कोर्स वर्क में क्रेडिट संशोधन।

विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठातागण की दिनांक 29.03.2022 को संपन्न बैठक में की गई संस्तुति पर अकादमिक सत्र 2021–22 से पी–एच.डी. कोर्स वर्क की दो पाठ्यचर्याओं की क्रेडिट में निम्नानुसार संशोधन किया गया है जो विद्या–परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है :

1. आधारभूत शोध प्रविधि : 02 क्रेडिट के स्थान पर 04 क्रेडिट
2. कंप्यूटर अनुप्रयोग : 04 क्रेडिट के स्थान पर 02 क्रेडिट

निर्णय : विद्या–परिषद ने अकादमिक सत्र 2021–22 से पी–एच.डी. कोर्स वर्क की दो पाठ्यचर्याओं की क्रेडिट में किये गये संशोधन को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या–7

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के बीच हुए समझौता ज्ञापन ।

विश्वविद्यालय के अधिनियम क्रं. 22 के तहत वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति के तहत शोध एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों के आदान प्रदान के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के बीच अनुबंध किया गया है।
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के बीच हुए समझौता के आलोक में दिनांक 18.04.2022 और 19.04.2022 को दोनों संस्थानों के बीच अकादमिक गतिविधियाँ वृद्धिंगत करवाने के लिए बैठक संपन्न हुई।

बैठक का कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 3 से 13 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या–परिषद ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई के बीच हुए समझौता ज्ञापन तथा दिनांक 18.04.2022 और 19.04.2022 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।

मद संख्या–8

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1. **गुवाहाटी एवं कोहिमा में केंद्र की स्थापना**

   विश्वविद्यालय की स्थापना मुख्यतः हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति और विकास के साथ–साथ भारतीय भाषाओं के भी उन्नयन और विकास तथा सुसंगत विद्या–शाखाओं में ज्ञान–विज्ञान को उपलब्ध कराने और हिंदी की प्रकार्यात्मक क्षमता का विकास करने के उद्‌देश्य से की गई है। पूर्वोत्तर में हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार, पूर्वोत्तर भाषाओं के साहित्य के अनुवाद का कार्य, पूर्वोत्तर साहित्य व संस्कृति को समाहित व संस्कृति को समाहित करते हुए पाठ्‌यचर्या का निर्माण एवं कोश निर्माण संबंधी कार्यों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा असम एवं नागालैंड में अकादमिक केंद्र प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को कार्य–परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी।

   माननीय शिक्षा मंत्री, असम सरकार ने असम में विश्वविद्यालय के केंद्र की स्थापना हेतु जिलाधिकारी (कामरूप मेट्रो) के नाम 60 बीघा जमीन प्रदान करने के लिए पत्र निर्गत कर दिया है तथा जमीन अलॉटमेंट की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

   निर्णय : विद्या–परिषद ने संज्ञान में लिया और अपनी सहमति प्रदान की।

2. **शोधार्थियों को पीएचडी का विषय आवंटन**

   विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेश में शोधार्थियों का विषय पहले तय हो रहा है फिर शोध निर्देशक। यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार कोर्सवर्क करने के बाद विषय निश्चित होना चाहिए।

निर्णय : विद्या-परिषद ने पहले शोधनिर्देशक तय करने और बाद में विषय का निर्धारण करने की अनुमति प्रदान की।

3. **विद्यार्थी प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव**

3.1 पुस्तकालय अभिविन्यास कार्यक्रम चलाए जाने के संबंध में।

हर सत्र में विद्यार्थियों व शोधार्थियों के लिए अकादमिक लेखन व शोधकार्य हेतु लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का संचालन किया जाए। यह आयोजन लाइब्रेरी के ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के उपयोग पर आधारित हो। जहां अध्येता पुस्तकालय के उपयुक्त प्रयोग, साहित्यिक चोरी पहचान आदि की विभिन्न तकनीक व बचाव के बारे में सीख सके और अपने अकादमिक लेखन व शोध कार्य में बेहतर कार्य कर सकें।

निर्णय : विद्या-परिषद ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ स्तर पर प्रत्येक सत्र में दो कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

4. **डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के संयुक्त तत्त्वावधान में विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्ठता केंद्र की रूप में स्थापित की गई है। डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का राष्ट्रव्यापी उद्घाटन 22 अप्रैल 2022 को बनारस में हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल (उत्तर प्रदेश) आनंदी बेन पटेल ने देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉ. आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। प्रत्येक केंद्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निरूशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध होगी। हर केंद्र में 100 सीटें होंगी, जिनमें से 33 प्रतिशत पर अनुसूचित जाति की छात्राएं प्रवेश ले सकेंगी। हर केंद्र के संचालन के लिए डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हर विश्वविद्यालय को सालाना 75 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक केंद्र में तीन शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी और सुचारू पठन-पाठन के लिए सभी आधुनिक एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, हाई स्पीड वाई-फाई आदि उपलब्ध कराया जाएगा। निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। इस योजना के लिए विश्वविद्यालयों में स्थापित डा. आंबेडकर पीठ से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। शुभारंभ कार्यक्रम में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के प्रतिकुलपति प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल, कुलसचिव कादर नवाज़ तथा नोडल अधिकारी डॉ. जयंत उपाध्याय ने शैक्षणिक-अनुबंध प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए।

निर्णय : विद्या-परिषद ने संज्ञान में लिया।

5. **नैक मूल्यांकन**

विश्वविद्यालय के नैक प्रत्यायन हेतु नैक द्वारा सूचित किया गया है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूर्व में नैक द्वारा विश्वविद्यालय को दिया गया 'ए' ग्रेड प्रमाणित

रहेगा। विश्वविद्यालय ने अपनी अकादमिक गतिविधियों को अद्यतन करने के उद्देश्य से 2021 की एक्यूआर रिपोर्ट नैक को प्रेषित करने का प्रस्ताव है।

निर्णय : विद्या–परिषद ने संज्ञान में लिया और अपनी सहमति प्रदान की।

6. विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश क्रमांक 08 एवं 09 के हॉल ऑफ रेजीडेंस एवं अनुशासन (Discipline) आदि संबंधी प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता।

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश क्रमांक 11 में डीन, स्टूडेंट वेलफेयर (Student Welfare) एवं परिनियम की धारा 9 (1) एवं 9 (2) एवं उसके अनुसरण में अध्यादेश क्रमांक 12 में कुलानुशासक (Proctor) के संबंध में आवश्यक उपबंध किये गये हैं। इसी तरह हॉल ऑफ रेजीडेंस एवं अनुशासन (Discipline) आदि संबंधी प्रावधान प्रथम अध्यादेश क्रमांक 08 एवं 09 में किये गये हैं। इनमें विश्वविद्यालय की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए संशोधन अपेक्षित है। अतः विद्या–परिषद् से अनुरोध है कि –

1. इन अध्यादेशों के संशोधन एवं आवश्यक प्रावधानों का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने की अनुमति प्रदान करे।
2. संशोधित अध्यादेश के प्रभावी होने तक कुलपति महोदय को उपयुक्त व्यवस्था हेतु अधिकृत किया जाए।

निर्णय : विद्या–परिषद ने प्रथम अध्यादेश क्रमांक 08 एवं 09 के हॉल ऑफ रेजीडेंस एवं अनुशासन (Discipline) आदि संबंधी प्रावधान में संशोधन के लिए समिति के गठन एवं उपयुक्त व्यवस्था हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

बैठक के अंत में नवनियुक्ति विद्यापरिषद् के सदस्य प्रो. प्रकाश बर्तुनिया, कुलाधिपति, डॉ. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं प्रो. नमिता निम्बालकर, प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई ने अपने मनोगत व्यक्त किए और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

धन्यवाद के ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

क़ादर नवाज़ 26/04/22

(क़ादर नवाज़ ख़ान)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा